भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 117
21.07.2025 को उत्तर के लिए

खनन परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई

117. श्री राजा राम सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित हसदेव वन में अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा संचालित परसा ईस्ट कांता बसन (पीईकेबी) कोयला खदान के लिए दो लाख से अधिक पेड़ काटे गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके लिए निरंतर स्थानीय विरोध, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जनजातीय अधिकारों के दावों और हसदेव अरंड क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बावजूद पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो प्रत्यक्ष जलवायु संकट के समय में जैव विविधता से भरपूर उक्त वन में व्यापक वन-कटाई की अनुमति देने के क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने हसदेव में खनन का हाल ही में कोई समेकित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया है या उसकी समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और पर्यावरणीय क्षरण के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनी पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के अपवर्तन प्रस्ताव के अनुसार, परसा ईस्ट कांता बसन (पीईकेबी) कोयला खदान में 3,68,217 पेड़ प्रभावित होंगे। वन भूमि के अपवर्तन की अनुमति प्रतिपूरक वनीकरण (सीए), निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के भुगतान और अन्य उचित शमन उपायों सहित शर्तों के अधीन दी गई है।

(ख) से (ङ) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा दिनांक 16/01/2009 को हसदेव-अरंद कोलफील्ड्स में स्थित "परसा ईस्ट और कांता बसन ओपनकास्ट कोल माइन प्रोजेक्ट (10 एमटीपीए) और पिट हेड कोल वाशरी (10 एमटीपीए) नामक परियोजना जो छत्तीसगढ़ के जिला सरगुजा, तहसील उदयपुर के परसा, कांता, बसन, साल्ही, हरिहरपुर, घाटबाड़ा, परोगिया के गांवों में स्थित है, के लिए जन सुनवाई आयोजित की गई थी। उक्त जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों पर ईएसी द्वारा विधिवत विचार-विमर्श किया गया और पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। ईएसी की अनुशंसाओं के आधार पर, मंत्रालय द्वारा दिनांक 21/12/2011 को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई।

इसके बाद, सीईसीबी द्वारा दिनांक 11/09/2016 को कोयला खनन और कोयला वाशरी क्षमता को 10 मेगाटन से 15 मेगाटन तक बढ़ाने के लिए एक और जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में उठाए गए मुद्दों में खदान से निकलने वाला मलबा, प्रदूषित जल के शोधन की व्यवस्था, कोयले का परिवहन, रोजगार, संस्कृति और परंपराएं, पुनर्वास आदि शामिल हैं। इन मुद्दों पर ईएसी द्वारा विधिवत विचार-विमर्श किया गया और पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। उपरोक्त विस्तार हेतु ईएसी की अनुशंसाओं के आधार पर, दिनांक 10/08/2018 को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई।

इसके बाद, दिनांक 15/09/2017 के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कोयला उत्पादन को 15 से 18 एमटीपीए (20% विस्तार) तक बढ़ाने के लिए दिनांक 14/02/2022 को एक और पर्यावरणीय मंजूरी का विस्तार प्रदान किया गया। इस परियोजना के विस्तार के एक भाग के रूप में, प्रस्तावक ने कोयला खनन और कोयला वाशरी के लिए एक संचयी प्रभाव मूल्यांकन किया है। इसमें वायु, जल, मृदा, वन आवरण और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन शामिल है। ईआईए में धूल दमन और जल प्रबंधन प्रणाली, ध्वनि नियंत्रण उपाय, खनन कार्यकलापों के पर्यावरणीय प्रभावों से लड़ने के लिए पुनःवनीकरण योजना जैसी विशिष्ट शमन कार्यनीतियां भी शामिल हैं।

मैसर्स आरआरवीयूएनएल ने वर्ष 2024 के दौरान परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और कांता बसन कोल ब्लॉक और कांता एक्सटेंशन कोल ब्लॉक सहित कांता एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए वहन क्षमता का अध्ययन किया है।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हसदेव क्षेत्र सहित सभी खनन कार्यकलाप पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय तरीके से संचालित की जाए। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और अन्य सभी लागू अधिनियमों, नियमों और दिशानिर्देशों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त शमन उपायों के साथ खनन की अनुमति दी गई है।

*****